न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 17/17 सन् 2017

आरसीएमएस संख्या 2017/000256

बउनवानीः–

1. बाबूलाल पुत्र जयराम जाति योगी/नाथ निवासी बन्धा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर
2. मडडू पुत्र माध्या जाति जोगी/नाथ निवासी बन्धा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3. पप्पू पुत्र स्व0 रामफूल जाति जोगी/नाथ निवासी बन्धा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
4. मु0 गन्दोडी बेवा रामफूल जाति जोगी/नाथ निवासी बन्धा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
5. जगरा पुत्र स्व0 श्री जगदीश जोगी/नाथ निवासी बन्धा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
6. कुन्ज्या पुत्र स्व0 जगदीश जोगी/नाथ निवासी बन्धा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
7. मयराम पुत्र माध्या जोगी/नाथ निवासी बन्धा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
8. हरिराम पुत्र स्व0 धूल्या जोगी/नाथ निवासी बन्धा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
9. सियाराम पुत्र स्व0 धूल्या जोगी/नाथ निवासी बन्धा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
10. मस्तराम पुत्र स्व0प्रसाद(पोत्र धूल्या जोगी/नाथ निवासी बन्धा तह0 व जिला स0मा0
11. श्रीमति लछमा पत्नि स्व0प्रसाद जोगी/नाथ निवासी बन्धा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
12. आशा पुत्री स्व. प्रसाद जोगी/नाथ निवासी बन्धा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
13. द्रोपती पुत्री स्व0 प्रसाद जोगी/नाथ निवासी बन्धा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
14. कल्लू पुत्र स्व0 रतन जोगी/नाथ निवासी बन्धा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
15. कमली पुत्री स्व0 रतन जोगी/नाथ निवासी बन्धा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
16. श्रीमति जमना बेवा स्व0 रतन जोगी/नाथ निवासी बन्धा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
17. रामजीलाल पुत्र बदरी जोगी/नाथ निवासी बन्धा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
18. रामस्वरूप पुत्र बदरी जोगी/नाथ निवासी बन्धा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
19. मु0 केसर बेवा बदरी जोगी/नाथ निवासी बन्धा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
20. कमलेश उर्फ कमल्या पुत्र स्व.हीरालाल जोगी/नाथ निवासी बन्धा तह0 व जिला स0मा0
21. केलाश पुत्र स्व0 हीरालाल जोगी/नाथ निवासी बन्धा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
22. रामू पुत्र स्व0 हीरालाल जोगी/नाथ निवासी बन्धा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 412 निर्णय दिनांक 24.10.1971 वाके ग्राम बन्धा तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता — वकील अपीलान्ट
2. श्री राधेश्याम योगी — वकील रेस्पो.

–: निर्णय :– दिनांक 08.07.2019

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 412 निर्णय दिनांक 24.10.1971 वाके ग्राम बन्धा तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट के पिता मृतक जयराम कुल 5 भाई थे जिसमे अपीलान्ट के पिता जयराम के अलावा मडडू,रामफूल,जगदीश,व मयराम थे जिनमे मडडू व जयराम जीवित है तथा रामफूल,जगदीश,व जयराम की मृत्यु हो चुकी है। जिनमे रेस्पो.संख्या 3 व 4 मृतक रामफूल तथा रेस्पो. संख्या 5 व 6 मृतक जगदीश के वारिसान है तथा रेस्पो. संख्या 8 लगायत 16 मृतक धूल्या के एवं रेस्पो. संख्या 17 लगायत 19 मृतक बदरी के तथा रेस्पो. संख्या 20 लगायत 22 मृतक हीरालाल के वारिसान है। यह तर्क भी दिया कि यह

डॉ0 एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नामा0 अपीलान्ट के दादा माध्या पुत्र सुखपाल की मृत्यु पर विरासत का खोला गया था लेकिन पटवार हल्का ने नामा0 खोलने से पूर्व मृतक माध्या के वारिसान की पूर्ण जानकारी न करते हुए मृतक माध्या के पांचों पुत्रान मडडू,रामफूल,जगदीश,मयराम व जयराम के नाम नामा. न खोलकर केवल मडडू,रामफूल,जगदीश व मयराम के नाम नाम0 खोल दिया गया जिसमें अपीलान्ट के पिता जयराम का नाम दर्ज नही किया जबकि यह नामा0मृतक माध्या के पांचो पुत्रो के नाम खोला जाना चाहिए था किन्तु नामा0 तस्दीक करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा विरासत की सम्पूर्ण जानकारी नही की गयी है। जबकि अपीलान्ट नामा0 जैर अपील की आराजीयात पर अपने पिता मृतक जयराम के स्थान पर बहैसियत सह खातेदार काश्तकार काबिज होकर आज दिन तक काश्त करता आया है लेकिन आदेश जैर अपील में अपीलान्ट के पिता का नाम दर्ज नही होने के कारण राजस्व रिकार्ड में भी अपीलान्ट का नाम दर्ज नही हुआ है। जिसके कारण अपीलान्ट अपने हक व अधिकारों से वंचित हो रहा है। यह तर्क भी दिया कि अन्य खाता संख्या की आराजीयात में माध्या की विरासत में माध्या के पांचों पुत्रान मडडू,रामफूल,जगदीश,मयराम व जयराम के नाम दर्ज है कथन के समर्थन में जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2038-- 41 पेश की गयी। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट के पिता जयराम के जीवनकाल में इस नामा0 की त्रुटि का अपीलान्ट को कतई ज्ञान नही था किन्तु दिनांक 11.9.2017 को केसीसी बनवाने हेतु जमाबन्दी की आवश्यकता होने पर पटवारी हल्का के पास जाने पर पटवारी हल्का के बताये जाने पर प्राप्त होने पर तहसील मे नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया दिनांक 13.10.2017 को नकल प्राप्त हुई किन्तु अपीलान्ट बिमार हो जाने के कारण दिनांक 24.11.2017 को अपील प्रस्तुत की गयी है। इसलिए जानकारी से अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को माफ करने हेतु दफा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो. द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट का पिता जयराम भी हमारे पूर्वज माध्या की सन्तान है इसलिए मृतक माध्या की विरासन का नामा0 अपीलान्ट के पिता के नाम भी खुलना चाहिए था। यदि अब अपीलान्ट के पिता के नाम नामा0 खोला जाता है तो हम रेस्पो. को कोई आपत्ति नही है।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ, कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 412 दिनांक 24.10.2017 दर्ज फैसल करते समय मृतक माध्या के वारिसान की सही जॉच नही गयी है जिसके कारण अपीलान्ट के पिता जयराम का नाम उक्त नामा0 नही भरा गया है। अपीलान्ट के पिता जयराम, माध्या की सन्तान होने की पुष्टि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2038-41 के अतिरिक्त वकील रेस्पो. द्वारा जयराम को मृतक माध्या का पुत्र होने बाबत किये गये कथन के आधार पर हो जाती है। ऐसी स्थिति मे मृतक माध्या के वारिसान के नाम भरा गया उक्त नामा0 संख्या 412 विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। अतः मृतक माध्या के वारिसान की जॉच कर उनके नाम पुनः नामा0 भरकर तस्दीक करवाये जाने हेतु अपील अपीलान्ट तहसीलदार सवाईमाधोपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है। एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक माध्या के वारिसान की जॉच कर उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर मृतक माध्या के वारिसान के नाम पुनः नामा0 भरकर दर्ज फैसल करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.7.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 17:22:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: